

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**

Notification No. 06/2019-State Tax

Dated: 08/10/2022

No. F.3 (18)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 795 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of this Government issued vide No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, for the words, brackets, letters and figures "sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir", words, brackets and figures "the first proviso to sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

Note:- The Principal Notification No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017

**By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,**



**(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)**

No. F.3(18)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 795
Copy forwarded for information to:-

Dated: 08/10/2022

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.

- Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
 11. Website.
 12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

IndiaCode

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 06/2019-राज्य कर

दिनांक: 06/10/2022

सं.फा.03(18)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/795: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 03) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 65/2017 राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा.03(73)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 65/2017-राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में सं.फा.03(73)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव - I (वित्त)

सं.फा.03(18)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/795

दिनांक: 06/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव - I (वित्त)

IndiaCode